रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277754
CG-DL-E-06112026-277754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No. 869] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 971(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल राजभाषा विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 का संशोधन करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - *(1)* इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल राजभाषा विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल राजभाषा विभाग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2023 में, अनुसूची में –

(क) उप महाप्रबंधक (राजभाषा) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 में स्तंभ (10) में, शीर्षक में, शब्द "पदों" के स्थान पर, शब्द "रिक्तियां" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 में स्तंभ (10) में, शीर्षक में, शब्द "पदों" के स्थान पर, शब्द "रिक्तियां" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) राजभाषा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 में,-

(i) स्तंभ (9) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सीधी भर्ती और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम-से-कम् दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।";

(ii) स्तंभ (10) में, शीर्षक में, शब्द "पदों" के स्थान पर, शब्द "रिक्तियां" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) स्तंभ (12) में, "समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे" शीर्षक के अधीन, मद (ii) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक (राजभाषा के नोडल अधिकारी) – सदस्य;"।

[फा.सं.2018/ई(जी)आरआर/24/1/ पार्ट (1)]

पल्लवी गोस्वामी, निदेशक, स्थापना (राजपत्रित संवर्ग)

टिप्पण: मूल नियम भारत का राजपत्र,असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 जनवरी, 2023 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26 (अ.) के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2026

G.S.R. 971(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Railway Official Language Department (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023, namely :-

1. Short title and commencement - (*1*) These rules may be called the Indian Railways Official Language Department (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railway Official Language Department (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2023, in the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Deputy General Manager (Rajbhasha), in column (10), in the heading, for the word "posts", the word "vacancies" shall be substituted;

(b) against serial number 2 relating to the post of Senior Rajbhasha Adhikari, in column (10), in the heading, for the word "posts", the word "vacancies" shall be substituted;

(c) against serial number 3 relating to the post of Rajbhasha Adhikari, -

(i) in column (9) for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:-

"Two years for direct recruits and promotees.

Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.";

(ii) in column (10), in the heading, for the word "posts", the word "vacancies" shall be substituted;

(iii) in column (12), under the heading "Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of", for item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

"(ii) Executive Director in Railway Board (Nodal Officer of Rajbhasha)-Member;".

[F.No. 2018/E(G)RR/24/1-Part(1)]

PALLAVI GOSWAMI, Director, Establishment (Gazetted Cadre)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i)* vide notification number G.S.R. 26 (E), dated the 16th January 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.1.1 08:31:11 PM +05'30'